न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः— 20 / 2017

प्रार्थीःगण —

1. रूपाराम पुत्र भोपाराम
2. जबराराम पुत्र भोपाराम
3. मांगीलाल पुत्र भेराराम
4. सांवलाराम पुत्र चिमनाजी
5. सोरमदेवी पत्नी बाबुसिंह
6. भंवरीदेवी पत्नी आम्बसिंह
7. छोगाराम पुत्र पूनमाराम
8. गुमानसिंह पुत्र भगवानाराम
9. केवलराम पुत्र चौथाजी
10. जबराराम पुत्र जोमताजी उर्फ जेमलाजी
11. अर्जुनराम पुत्र जोमताजी उर्फ जेमलाजी
12. चेनाराम पुत्र जोमताजी उर्फ जेमलाजी
13. नरपतसिह पुत्र बिशनसिह
14. बगाराम पुत्र खंगाराराम
15. शंकरलाल पुत्र खंगाराराम
16. पारस पुत्र खंगाराराम

जातियान राजपुरोहित निवासी गुडानाल तहसील सिवाना

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. हंजारीरमल उर्फ हंजाराम पुत्र फुआजी उर्फ फुसाराम जाति राजपुरोहित निवासी गुडा
2. जबरपुरी पुत्र रतनपुरी जाति स्वामी निवासी सिवाना
3. मदनपुरी पुत्र रतनपुरी जाति स्वामी निवासी सिवाना
4. चेतनपुरी पुत्र टीकमपुरी जाति स्वामी निवासी सिवाना
5. ओमपुरी पुत्र टीकमपुरी जाति स्वामी निवासी सिवाना
6. दीपा गौद पुत्र गिरधारी जाति पु[illegible] नि[illegible]ी सिवाना
7. राजस्थान सरका[illegible] भूमिधारक त[illegible]दार सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:01 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थना पत्र अन्त[illegible] 251 [illegible]थान काश्तकार अधि[illegible]

उपस्थित :—1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री नरपतसिंह अधिवक्ता विप्रार्थीगण 1 व 6

3 विप्रार्थीगण संख्या 02 ता 05 अनुपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

–: आदेश :–

दिनांक :– 20-02-2026

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2021 का अपास्त कर पुनःसुनवाई हेतु अज अदालत में प्रेषित किये जाने पर पत्रावली पुनः सुनवाई में ली गई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1252 व 1255 रकबा 3.10 व 3.14 बीघा भूमि सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना तहसील सिवाना में आवागमन हेतु रास्ता बदिशा उतर में स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1253, 1245 व 1246 के माठ से होते हुए आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग तक जाता है।उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट"अ"में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन पत्र की विधिवत सुनवाई की जाकर दिनांक 24.09.2021 को प्रार्थीगण द्वारा चाहे गया रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पत्रांक राजस्व / 2019 /3995 दिनांक 11.10.19 के संलग्न मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल सी से डी विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1246,1245 व 1253 की पूर्वी माठ पर रास्ता घोषित किया गया।

उक्त आदेश की अपील विप्रार्थी संख्या 1 व 6 द्वारा माननीय न्यायालय अधिकारी बाडमेर में की गई जिसको माननीय न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया । अदालत हाजा तथा माननीय न्यायालय अपील अधिकारी बाडमेर के आदेश के विरूद्ध विप्रार्थी संख्या 1 व 6 के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई। विप्रार्थी संख्या 1 व 6 की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्वीकार किया जाकर अदालत हाजा द्वारा दिनांक 24.09.2021 को पारित आदेश को अपास्त किये जाकर निर्देशित किया गया की खसरा संख्या 1245 के रिकार्डेड खातेदार हंजाराम पुत्र फुआराम को पक्षकार संयोजित कर उन्हे सुनवाई एवं सक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के अधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –ए के विधिक प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का पेश कर कथन किया कि विप्रार्थी खसरा संख्या 1245 का खातेदार हंजाराम पुत्र फुआराम व

खसरा संख्या 1146 तथा 1246 का खातेदार हंजारीमल पुत्र फुआजी एक व्यक्ति है तथा हंजारीमल आवेदन में बतौर विप्रार्थी संख्या 1 पूर्व में ही संयोजित है अतःहंजाराम को बतौर विप्रार्थी संख्या 1 के तौर पर संयोजित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा सख्या 1245 का खातेदार हंजाराम पुत्र फुआराम व खसरा संख्या 1146 तथा 1246 का खातेदार हंजारीमल पुत्र फुआजी एक व्यक्ति है तथा विप्रार्थी हंजारीमल उर्फ हंजाराम के ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह उपस्थित है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया गया तथा विप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह पूर्व में ही उपस्थित होने के कारण विप्रार्थी हंजारीमल उर्फ हंजाराम को जरिये नोटिस तलब करने की आवश्यकता नहीं होने से नोटिस जारी नहीं किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विप्रार्थी संख्या 1 व 6 की अपील प्रस्तुत किये जाने व उनके ओर से अधिवक्ता उपस्थित होने के कारण शेष विप्रार्थी को तलब करने की आवश्यकता नहीं होने से शेष विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब नहीं किया गया।

तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण के तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1252 व 1255 वर्तमान खसरा संख्या 2530 व 2531 में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या पुराना खसरा संख्या 1246,1245 व 1253 (नवीन खसरा संख्या 2523, 2522 व 2521 ही निकटतम व लघुत्तम रास्ता है जो मौका रिपोर्ट में बरंग लाल से दर्शित किया गया, प्रार्थीगण के खातेदार भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर में प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1252 व 1255 वर्तमान खसरा संख्या 2530 व 2531 में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या पुराना खसरा संख्या 1246,1245 व 1253 (नवीन खसरा संख्या 2523,2522 व 2521) मे से मौका रिपोर्ट में दर्शित बरंग लाल अनुसार गै.मु. रास्ता घोषित किया जावे । प्रार्थीगण उक्त रास्ते के भूमि के [illegible] भूमि देने को सहमत है।

विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि [illegible] के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौके पर वर्षो से [illegible] रहा है [illegible] तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में छिपाया [illegible] सिवाना ने मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता नहीं दिया जाकर दूसरी तरफ रास्ता दिया गया है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता की दूरी कम है परन्तु तहसीलदार सिवाना मौका रिपोर्ट में जो रास्ता दर्शाया है उसकी दूरी अधिकतम है। विप्रार्थी अधिवक्ता ने आगे बहस में कथन किया कि खसरा संख्या 2523 को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:01 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए प्रार्थीगण संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करे अन्यथा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 04.12.2025 को प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया, तहसीदार सिवाना ने मौका रिपोर्ट में कथन किया प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जो मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है कि माठ पर विप्रार्थीगण के पक्के मकान पानी का हौद टांका निर्मित है मौका रिपोर्ट में दर्शित बरंग लाल ही प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु समस्त रास्तो के वैकल्पों में से निकटतम है, जहां तक प्रश्न खसरा संख्या 2523 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाये जाने का है, तो आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 2523 का खातेदार चेतनपुरी पुत्र टीकमपुरी पूर्व में ही बतौर पक्षकार विप्रार्थी संख्या 4 संयोजित है लिहाजा विप्रार्थी अधिवक्ता की मौखिक आपत्ति खारिज की जाती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2530 व 2531 में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 2523 में से लम्बाई 37 मीटर चौडाई 6 मीटर अर्थात 222 व.मी.,खसरा संख्या 2522 मे से लम्बाई 169 मीटर चौडाई 6 मीटर अर्थात 1014 मीटर व खसरा संख्या 2521 मे से लम्बाई 108 मीटर व चौडाई 6 मीटर अर्थात 648 व.मी. भूमि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में अंकित बरंग लाल बिन्दू ए से बी से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1188 दिनांक 04.12.2026 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:01 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 20-02-2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

4.

रास्ते में प्रभावित खसरा सं.	प्रभावित लम्बाई	प्रभावित चौड़ाई	प्रभावित रकबा	डीएलसी दर	राशि
2523	37 मीटर	6 मीटर	222 वर्मी.	10,64,000 प्रति हेक्टेयर	23621=00
2522	169 मीटर	6 मीटर	1014 वर्मी.	10,64,000 प्रति हेक्टेयर	107890=00
2521	108 मीटर	6 मीटर	648 वर्मी.	10,64,000 प्रति हेक्टेयर	68947=00

5. उक्त तीनो खसरों में कुल 314 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई से कुल - 1884 वर्मी. भूमि रास्ते के रूप में प्रभावित हो रही है, जिसकी डीएलसी दर अनुसार कुल राशि 2,00458/- (दो लाख चार सौ अठावन रुपये) बनती है।

6. उक्त प्रस्तावित की जा रही भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण, टांकी अथवा पुराना वृक्ष नहीं है।

नजरी नक्शा

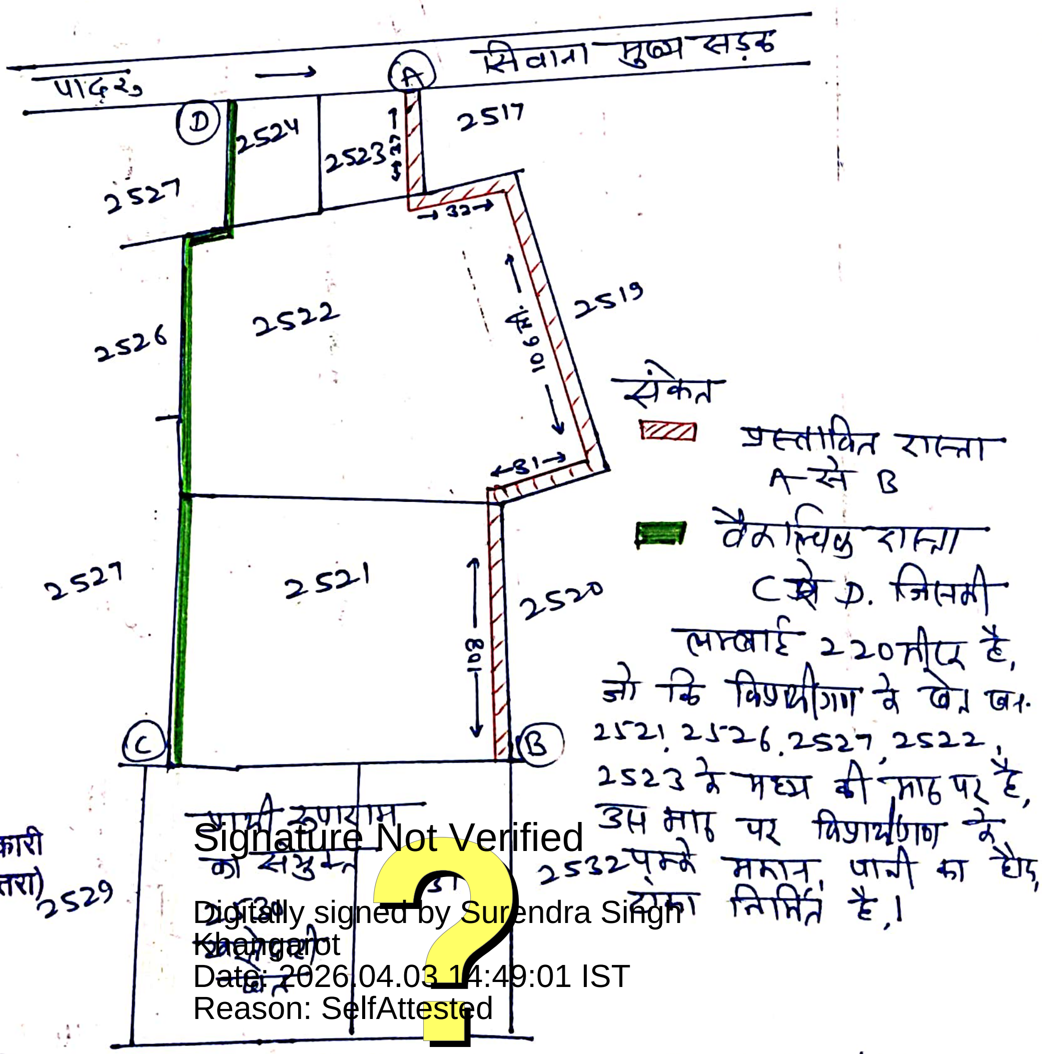

Ex. court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:49:01 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट वास्ते अग्रिम कार्यवाही श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

Pawan
पटवारी (भू.अ.) सिवाना

28.11.2025
निरीक्षक (भू.अ.) सिवाना